सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 14, बुधवार, *शाके* 1946-अप्रेल 03, 2024 *Chaitra 14, Wednesday , Saka 1946- April 03, 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 31, 2024

जी.एस.आर.1 :-राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का राजस्थान अधिनियम संख्या-38) की धारा 17-क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75 जयपुर दिनांक 05.05.2020 समय-समय पर यथा संशोधित में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

संशोधन

अधिसूचना में मद संख्या 4 के परन्तुक में अभिव्यक्ति ‘‘दिनांक 01.03.2021 से 31.03.2024” को अभिव्यक्ति ‘‘ दिनांक 01.03.2021 से 30.06.2024” से प्रतिस्थापित किया जाता है।

[संख्या प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75]
राज्यपाल की आज्ञा से,

अशोक कुमार मीना,
शासन उप सचिव।

Government Central Press, Jaipur.